राजस्थान सरकार

# यालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह आर०ए०एस०

संख्या :- 284/2022 प्रा०पत्र

बसन्ती लाल S/o दीपचन्द कलाल नि० लाडवास- तह० करेडा- जि०

प्रार्थी.......

बनाम

रामलाल S/o रत्ना बलाई नि० लाडवास- तह० करेडा- जि०

विपक्षीगण.

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956**

**:: आदेश ::** दिनांक 3/11/22 प्रा०पत्र

र्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०राज०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ग्राम लाडवास पटवार हल्का लाडवास तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 177 नम्बर 145/1.9096

कुलकिता 1

.9096 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की के आदेश प्रदान कराये जावे।

स्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 3/11/22 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ ात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अदेंशा नही है तथा न किसी धिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

**:: आदेश::**

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लाडवास पटवार हल्का लाडवास तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 177 आराजी नम्बर 145/1.9096।

कुलकिता 1

.9096 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु लेख निरीक्षक कोमाल्दी को 750/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे स्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु क[illegible] फसल खड़ी होने पर ी नही की जावे।

– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:01:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार ढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला–भीलवाड़ा